संख्या-72/2018/3146/33-3-2018-30/2017 टी.सी.

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

(1) मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 लखनऊ।

(2) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 सितम्बर, 2018

विषय- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत सी0एस0आर0 के सहयोग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश को 02 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये आवश्यक है कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार के पास स्वच्छ शौचालय/इज्जतघर की सुविधा उपलब्ध हो एवं परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा इज्जतघर का प्रयोग भी किया जाता हो।

बेसलाइन सर्वे 2012 में सम्मिलित परिवारों में अधिकतर परिवार अनुदान के लिये उपयुक्त हैं। उनके अतिरिक्त स्वयं के संसाधन से इज्जतघर निर्मित कराने वाले तथा ऐसे परिवार जो बेसलाइन सर्वे के उपरान्त नये जुड़े है, उन्हे भी इज्जतघरों से आच्छादित किया जाना है तथा अक्रियाशील इज्जतघरों को भी क्रियाशील बनाया जाना है। इसके लिये शासन स्तर से पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि जनपद में मनरेगा, निर्माण श्रमिक सेस, खनिज कल्याण निधि एवं सी0एस0आर0 के माध्यम से इज्जतघरों के निर्माण का प्रबन्ध किया जाये। मनरेगा, निर्माण श्रमिक सेस, खनिज कल्याण निधि से सम्बन्धित दिशा-निर्देश सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत किये जा चुके है। सी0एस0आर0 से सम्बन्धित दिशा-निर्देश निम्नवत् है-

मिशन/जनपद स्तर से सम्बन्धित गतिविधियां:-

1. **<u>परियोजना संचालन के सन्दर्भ व्यक्ति-</u>** राज्य स्तर पर मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) इस हेतु उत्तरदायी/सम्पर्क व्यक्ति होंगें। इस हेतु उपनिदेशक(पं0) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0 के ईमेल आई0डी0

http://shasnadeshup.nic.in

sbmgup2018@gmail.com व मोबाइल नम्बर **9917053801** पर सम्पर्क किया जा सकता है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी प्रथम एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वितीय उत्तरदायी/सम्पर्क व्यक्ति होंगे। इन्हीं के द्वारा विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत/व्यक्तिगत स्तर की गतिविधियाँ सुनियोजित व संचालित की जायेंगी। जनपद स्तर पर उद्यमी/ प्रायोजक/सहयोगी से समन्वय एवं सहयोग का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा।

2. <u>कार्ययोजना तैयार करना एवं संचालन-</u>

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वयं के संसाधन से इज्जतघर निर्मित कराने वाले एवं बेसलाइन सर्वे के उपरान्त नये जुड़े पात्र परिवारों को सूचीबद्ध कर लिया जाये तथा अक्रियाशील इज्जतघरों की भी सूची तैयार की जाये।
- उद्यमी/प्रायोजक/सहयोगी द्वारा न्यूनतम 05 इज्जतघरों का निर्माण कराया जा सकता है, परन्तु सम्पूर्ण क्षेत्र में अपनी ब्राण्डिंग के लिए ग्राम पंचायत /विकास खण्ड/जनपद को गोद लेने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम 50 इज्जतघरों का निर्माण या रु0 06 लाख अथवा अधिक का आर्थिक सहयोग, विकास खण्ड, स्तर पर न्यूनतम 500 इज्जतघरों का निर्माण या रुपये 60 लाख अथवा अधिक का आर्थिक सहयोग एवं जनपद स्तर पर न्यूनतम 5000 इज्जतघरों का निर्माण या रुपये 06 करोड़ अथवा अधिक का आर्थिक सहयोग किया जायेगा। इस प्रकार सहयोग के लिए अलग-अलग 04 यूनिट (इकाईयाँ) होंगीं।
- उक्तानुसार इकाईयों में उद्यमी/प्रायोजक/सहयोगी स्वच्छ भारत मिशन सम्बन्धी गतिविधियाँ आयोजित करने को तैयार होते है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सम्पूर्ण इकाई क्षेत्र में अपनी ब्राण्डिंग करने का अधिकार होगा एवं यह माना जायेगा की इन्हीं के सहयोग से इकाई को ओ0डी0एफ0 कराया गया है।
- उक्त के अतिरिक्त उद्यमी/सहयोगी को व्यक्तिगत परिवार में इज्जतघरों के निर्माण के लिये चयनित करने की स्वतन्त्रता होगी परन्तु उद्यमी अपनी ब्राण्डिंग निर्मित कराये गये इज्जतघरों पर ही कर सकेगा।

http://shashadeshup.nic.in

3. जनपद/मण्डलीय स्तरीय कम्पनियों/उद्योगों के साथ निरन्तर सम्पर्क/बैठक आयोजित कर कार्यक्रम के महत्व एवं आवश्यकता को स्पष्ट किया जाय। विशेष रूप से पेट्रोल पम्पों के मालिकों, निर्माण एवं सेवा कम्पनियों, उद्योग एवं व्यापार मण्डलों एवं इन्श्योरेंस कम्पनियों से भी सहयोग के लिये अनुरोध किया जाये।
4. सहयोग करने वाली कम्पनियों/उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित की जायें। इसमें मुख्य रुप से कार्यक्रम की प्रगति एवं उनके द्वारा किये गये सहयोग के माध्यम से की गयी प्रगति से अवगत कराया जाये।
5. प्रायोजक/सहयोगी अपनी इच्छानुसार इकाई/स्तर चयन के लिये स्वतन्त्र होगा।
6. परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व मिशन निदेशक/जिलाधिकारी चयनित स्तर के प्रारम्भिक प्रोजेक्ट तैयार कर उपलब्ध करायेगे। इन्हें औद्योगिक विकास विभाग की वेबसाइट **http://udyogbandhu.com** पर भी अपलोड किया जायेगा।
7. यदि किसी प्रायोजक/सहयोगी द्वारा सामुदायिक इज्जतघर/स्वच्छालय का निर्माण कराया जाता है, तो इसके रख-रखाव एवं स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मिशन/ जनपद/लाभार्थी की होगी।
8. मिशन/जनपद द्वारा प्रायोजक की ब्राण्डिंग में सहयोग किया जायेगा एवं योजना का संचालन सहयोगी के नाम से ही होगा।
9. यदि प्रायोजक जनपद या मिशन को धनराशि उपलब्ध कराता है, तो उसकी प्रगति आख्या, उपभोग एवं अन्य आवश्यक वित्तीय व्यय विवरण मिशन/जनपद द्वारा प्रायोजक को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
10. प्रायोजक/सहयोगी को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुमन्य इज्जतघरों के डिजाइन एवं मानकों का अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व मिशन/जनपद का होगा।
11. यदि उद्यमी/सहयोगी द्वारा मिशन/जनपद को गतिविधियाँ संचालित करने के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है, तो इज्जतघरों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में निर्धारित धनराशि रु0 12000.00 प्रति की दर से ही किया जायेगा। यह धनराशि एक अलग खाते में रखी जाय व इसका पूरा लेखा जोखा अलग से शासकीय धनराशि की भाँति रखा जाय। इसके अतिरिक्त सहयोगी द्वारा **IEC** (प्रचार-प्रसार) हेतु भी धनराशि उपलब्ध कराई/व्यय की जा सकती है। सम्बन्धित जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा शौचालय निर्माण की प्रगति/पूर्णता से मिशन निदेशक/ उद्यमी/सहयोगी को पाक्षिक रूप से अवगत कराया जायेगा।

http://shasnadeshup.nic.in

3. <u>प्रोत्साहन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण-</u>

सहयोगी द्वारा की जा रही गतिविधियों में तकनीकी सहयोग एवं अनुश्रवण का दायित्व मिशन निदेशक/जिलाधिकारी का होगा। अनुश्रवण हेतु की जाने वाली कार्यवाही निम्नलिखित हैं-

- निर्मित इज्जतघर का लाभार्थीवार विवरण भारत सरकार की वेबसाइट https://mdws.gov.in पर आनलाइन इन्ट्री किया जाना।
- निर्मित इज्जतघर का यूनिक कोडिंग सहित भारत सरकार की वेबसाइट पर फोटोग्राफ अपलोड किया जाना।
- खुले में शौच मुक्त ग्रामों की सत्यापन की व्यवस्था- खुले में शौच मुक्त ग्रामों की द्वि-स्तरीय सत्यापन की व्यवस्था-(1)-जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तरीय टीम के माध्यम से तथा (2)-जनपद स्तर से सत्यापन के उपरान्त अग्रसारित ग्रामों को मण्डल स्तरीय टीम के माध्यम से करायी जाय।
- निर्मित इज्जतघरों का थर्ड पार्टी सत्यापन किया जाना।
- उपरोक्त कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के उपरान्त मिशन निदेशक/ जिलाधिकारी द्वारा उद्यमी/सहयोगी को प्रशस्ति-पत्र सहित पुरस्कृत किया जायेगा।

उद्यमी/सहयोगी संस्थाओं के स्तर से सम्बन्धित गतिविधियाँ :-

1. उद्यमी/सहयोगी मिशन/जनपद स्तर के लिये एक नोडल नामित कर उसका विवरण जिलाधिकारी/ मिशन निदेशक को उपलब्ध करायेंगें।
2. प्रारम्भिक परियोजना के उपरान्त प्रायोजक/सहयोगी द्वारा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर मिशन निदेशक/जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. उद्यमी/सहयोगी अपने स्तर से मिशन/जनपदों द्वारा तैयार इकाई अथवा व्यक्तिगत रुप से सहयोग एवं प्रोजेक्ट के चयन हेतु स्वतन्त्र होंगें।
4. यदि उद्यमी/सहयोगी द्वारा स्वयं इकाई का चयन कर इज्जतघरों का निर्माण किया जाता है, तो स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) में निर्धारित डिजाइन एवं मानकों के अनुरुप ही इज्जतघरों का निर्माण किया जायेगा।
5. यदि उद्यमी/सहयोगी अपने स्तर से योजना संचालित करते हैं, तो चयनित इकाई की प्रगति आख्या मासिक रुप से मिशन को उपलब्ध करायेंगे।

http://shasnadesh.up.nic.in

6. चयनित इकाईयों के अनुरुप मिशन की अनुमति से उद्यमी/सहयोगी अपनी ब्रान्डिग करने के लिये स्वतन्त्र होंगें।
7. उद्यमी/सहयोगी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण अथवा अन्य सम्बन्धित गतिविधियाँ भी आयोजित करा सकतें है।
8. मिशन/जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली बैठको में प्रतिभाग करना।
9. उद्यमी/सहयोगी द्वारा आवश्यकतानुसार IEC गतिविधियों तथा मॉनीटरिंग में सहयोग प्रदान करना।

अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा अधिकतम उद्यमियों /सहयोगियों की इस कार्यक्रम में सहभागिता कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in